UPAG010060822026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आगरा

पीठासीन अधिकारी– (SHRI SANJAY KUMAR MALIK), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP01906**

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2581/2026

धर्मेन्द्र पुत्र भोजराज निवासी– नगला हीरामन, देवरैठा, देओरेथा, आगरा उम्र लगभग 27 वर्ष

..... अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य

.....अभियोजन पक्ष

मु0अ0सं0: 234/2025
धाराः 115(2),191(2),351(2),109(1)
भारतीय न्याय संहिता
थाना–सिकन्दरा आगरा

दिनांकः 19.06.2026

पुलिस थाना सिकन्दरा, आगरा जिला आगरा पर पंजीकृत मुकदमा अपराध सं0 234/2025 अन्तर्गत धारा– 115(2),191(2),351(2),109(1) भारतीय न्याय संहिता में वांछित अभियुक्त धर्मेन्द्र की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में कहा गया है कि उसे झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी में अभियुक्त की कोई विनिर्दिष्ट भूमिका दर्शित नहीं की गयी है। कथित घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। चुटैल कथित गंभीर चोटों के उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती नहीं रहा है। प्रकरण में सह अभियुक्तगण प्रवीन सिंह चाहर तथा पुनीत कुमार की अग्रिम जमानत इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं। अभियुक्त को पुलिस से गिरफ्तारी की आशंका है। अतएव अग्रिम जमानत प्रदान करने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन के अनुसार वादी भानु प्रताप द्वारा थाना सिकन्दरा, आगरा पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि वह स्ट्रेंथ स्टूडियो चलाता है। दिनांक 19.04.2025 को समय करीब रात दस बजे वह जिम बंद कर रहा था, तभी प्रवीन चाहर, पुनीत चाहर आदि 10–15 लोग आये तथा ईट पत्थर आदि से मारपीट

की, जिससे उसके सिर व अन्य जगह गंभीर चोटें आई हैं। ये लोग उसे जान से मारने की धमकी देकर भाग गये हैं।

वादी की तहरीर पर दिनांक 20.04.2025 को थाना सिकन्दरा, आगरा पर मु0अ0सं0 234/2025 अन्तर्गत धारा 115(2),191(2),351(2) प्राथमिकी अंकित की गई। विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 109(1) भारतीय न्याय संहिता की बढ़ोत्तरी की गयी।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, आगरा द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, आगरा के तर्क सुने एवं केस डायरी का परिशीलन किया।

उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार आवेदक/अभियुक्त एवं सह अभियुक्तगण द्वारा वादी को मारपीट कर गंभीर चोटें कारित किया जाना आक्षेपित है। आवेदक/अभियुक्त धर्मेन्द्र प्राथमिकी में नामित नहीं है, विवेचना के दौरान उसका नाम प्रकाश में आना कहा गया है।

केस डायरी में संलग्न चुटैल भानुप्रताप की उपहति आख्या के अनुसार उसके शरीर पर कुल 25 चोटें पाई गयीं, जिनमें चोट संख्या–05, 09, 11 एवं 16 को छोड़कर शेष चोटों को साधारण प्रकृति की होने का निष्कर्ष दिया गया तथा आगामी उपचार हेतु एस0एन0 मेडिकल कॉलेज, आगरा संदर्भित किया गया।

चुटैल भानुप्रताप की पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार चुटैल के सिर में इन्ट्राक्रानियल हेमाटोमा पाये जाने पर उक्त चोट को प्राणघातक एवं गंभीर प्रकृति की होने का निष्कर्ष दिया गया है। चुटैल की अन्य किसी भी चोट में कोई फ्रैक्चर आदि नहीं पाया गया है। तत्सम्बन्ध में आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि उक्त गंभीर चोट के उपचार हेतु चुटैल/वादी भानु प्रताप अस्पताल में भर्ती नहीं रहा है, अपितु उसके द्वारा कथित घटना के दूसरे दिन स्वयं ही थाने पर जाकर प्रकरण की रिपोर्ट लिखाई गयी है।

तत्सम्बन्ध में केस डायरी के पर्चा संख्या–01 दिनांकित 20.04.2025 के अनुसार विवेचक द्वारा वादी/चुटैल भानुप्रताप के घर पर जाकर उसके बयान अंकित किये गये, जिसमें वादी द्वारा अपने बयान में आवेदक/अभियुक्त एवं सह अभियुक्तगण द्वारा मारपीट कर चोटें पहुंचाये जाने का कथन किया गया है, परन्तु उसके द्वारा चोटों के उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती रहने का कोई कथन नहीं

किया गया है। इसके सापेक्ष उपलब्ध प्रपत्रों से परिलक्षित होता है कि वादी/चुटैल भानु प्रताप द्वारा ही कथित घटना के दूसरे दिन दिनांक 20.04.2025 को थाना सिकन्दरा, आगरा पर जाकर प्रकरण की प्राथमिकी लिखाई गयी है।

उपलब्ध प्रपत्रों से यह भी परिलक्षित होता है कि प्रकरण में पूर्व में विवेचना अन्य धाराओं के साथ धारा 110 भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत की जा रही थी एवं विवेचक द्वारा वादी के मजीद बयान के आधार पर प्रकरण में धारा 110 भारतीय न्याय संहिता का लोप कर धारा 109(1) भारतीय न्याय संहिता की बढ़ोत्तरी की गयी है, जब कि चुटैल/वादी की चिकित्सीय परीक्षण आख्या एवं पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्या के आधार पर प्रकरण में विवेचना अन्य धाराओं के साथ धारा 110 भारतीय न्याय संहिता में की जा रही थी। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। प्रकरण में सह अभियुक्तगण प्रवीन सिंह चाहर तथा पुनीत कुमार की अग्रिम जमानत इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है।

तदैव मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों के दृष्टिगत आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **धर्मेन्द्र** का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है तथा अभियुक्त को विवेचक द्वारा मामले में की जा रही विवेचना की समाप्ति तक अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है।

आवेदक/अभियुक्त **धर्मेन्द्र** को निर्देशित किया जाता है कि, वह विवेचना में सहयोग करेगा और उसकी गिरफ्तारी की अवस्था में अरैस्टिंग आफीसर की संतुष्टि में अभियुक्त द्वारा मुवलिग **50,000 रूपये** का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाये।

आवेदक/अभियुक्त निम्न शर्तों का अनुपालन करेगा–

1. यह कि, आवेदक/अभियुक्त किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जैसा और जब अपेक्षा की जायेगी, पूछताछ किये जाने हेतु स्वंय उपलब्ध होगा एवं विवेचना में सहयोग करेगा।

2. यह कि आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उन्हे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या पुलिस को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।

3. यह कि आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

(संजय कुमार मलिक)
सत्र न्यायाधीश,
आगरा।
19.06.2026

Digitally signed by SANJAY KUMAR MALIK
Date: 2026.06.20 06:57:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court